श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)
कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 016

क्रमांक.ला.ब.शा./राज भाषा/2017–18/89 दिनांक 10.04.2018 20

कार्यालयीय –आदेश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चत्तर शिक्षा विभाग के पत्र सं.13034–1/2015 रा.भा.ए एवं हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा दर्शाए बिन्दुओं एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाए ।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिन्दी तथा अंग्रेजी अर्थात द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
3. सभी कम्प्यूटरों पर यूनिकोड फान्ट का प्रयोग किया जाए।
4. कर्मचारियों को हिन्दी भाषा/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर नामित कर प्रशिक्षित किया जाए।
5. हिन्दी में टिप्पणियां अधिक से अधिक लिखने का प्रयास किया जाए।
6. कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित करने तथा तदनुरूप वातावरण बनाने के लिए उत्साहवर्धक कार्यक्रम जैसे कार्यालय के विषय से संबंधित संगोष्ठियां, सेमिनार, प्रतियोगिताएं तथा अन्य आयोजन किए जाएँ ।

अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव
3. समस्त अनुभाग अधिकारी
4. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
5. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियता
6. महिला अध्ययन केन्द्र
7. पुस्तकालयाध्यक्ष/प्रकाशन विभाग
8. कुलपति/कुलसचिव/वित्ताधिकारी के निजी सचिव

मनजीत सिंह
सहायक कुलसचिव (प्रशा0)